संलग्नक-05 (5)

कार्यवाही विवरण

श्री जसबीर सिंह चांवला (हरदी डोलोमाईट माईन), ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित कुल क्षेत्रफल 5.03 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–75,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 11.11.2021 को दोपहर 12.00 बजे ग्राम–हरदी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार श्री जसबीर सिंह चांवला (हरदी डोलोमाईट माईन), ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित कुल क्षेत्रफल 5.03 हेक्टेयर में प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–75,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 04.10.2021 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 04.10.2021 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 11.11.2021 को दोपहर 12:00 बजे ग्राम–हरदी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिल्हा, जिला–बिलासपुर, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 11.11.2021 को दोपहर 12:00 बजे ग्राम–हरदी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्रीमती जयश्री जैन, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री जगमोहन कुमार चन्द्रा, इंडियन माईन प्लानर एण्ड कंसलटेंट, कलकत्ता के द्वारा श्री जसबीर सिंह चांवला (हरदी डोलोमाईट माईन), ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री अश्वनी कुमार कौशिक, ग्राम–हरदी** :–सहमत हूॅ खदान खुलने पर यदि खदान खुलेगा तो कुछ रोजगार मिलेगा और कुछ धनराशि संचार को प्राप्त होगा, जिससे गांव में कुछ विकास होगा।

2. **श्री मंगलदास मानिकपुरी, ग्राम–हरदी** :–खदान खुलने वाला है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, और हमारे गांव का विकास होगा। हमारे देश का विकास होगा।

3. **श्री गेंददास मानिकपुरी, ग्राम–हरदी** :–मुझे खदान खुलने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पौधा का बात करेंगे पौधा तो बहुत सारा लगवाते रहते है। अभी आम, बिही, कटहर, जामुन बहुत सारा प्रकार का पौधा लगा हैं। अभी जाकर देखे पूरा बडा–बडा हो गया है पौधा।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

4. **श्री मथुरा प्रसाद यादव, ग्राम–हरदी** :–इस नये परियोजना खुल रहा है उसके संबंध में कुछ बोलना चाहूँगा। हमको ये है कि परियोजना खुल रहा है खुशी हैं, अच्छा है परियोजना नया खुलने से हमारे देहात के जो शिक्षित बेरोजगार है उनको रोजगार मिलने का, उनको आशा है और मैं यही आशा लेकर यहाॅ पर बोलने आया हूँ। जब कभी इस परियोजना में नये मजदूरो की कर्मचारिया की जरूवत पडता है तो हमारे स्थानीय शिक्षित बेराजगार को पहले प्राथमिकता दी जाये और जैसे जो परियोजना के अंदर कार्य करने वाले कर्मचारी है अचानक कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हो जाता है। एक्सीडेंट तो उसका संपूर्ण जवाबदारी हमारे चाॅवला साहब का होगा। ये है कि कर्मचारी उनके आश्रित बाल–बच्चे भी रहते है। वो कहीं बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसका बाल–बच्चे बहुत दुखी हो जाते है। इसलिए इतना मै कहूँगा कि जो भी कर्मचारी वहां पर काम करते है उन्हें क़िसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी कुछ इलाज जरूवत पडता है तो मै इसके लिए चावला साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसका जवाबदरी स्वयं ले और कराने की कृपा करेंगे।

5. **श्री सागरदास मानिकपुरी, ग्राम–हरदी** :– हमला कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 1:00 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री जगमोहन कुमार चन्द्रा, इंडियन माईन प्लानर एण्ड कंसलटेंट, कलकत्ता श्री जसबीर सिंह चांवला (हरदी डोलोमाईट माईन), ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 1:05 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

(8)

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 18 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 05 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 100 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 74 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)